

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में 03 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 02 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० संजय कुमार, 36, श्री रघुनन्दन प्रसाद, सामान्य	श्रीमती पिकी देवी (पत्नी)	389/21.06.18	ग्रा०-गोसायविगहा, पो०-बड़ारा, था०-नूरसराय, नालंदा	08960017 00061879	पंजाब नेशनल बैंक, PUNB0089600	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० धर्मेन्द्र कुमार, 43, श्री राजेन्द्र यादव, अ० पि० वर्ग	श्रीमती मंजु देवी (पत्नी)	463/13.07.18	ग्रा०-बहुआरा, पो०-पलटपुर, था०-मानपुर, नालंदा	59078482 544	Allahabad Bank, ALLA0210809	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ठेला चालक
3	स्व० छोटे चौधरी, 30, स्व० भरत चौधरी अनु० जाति	श्रीमती सरिता देवी (पत्नी)	464/13.07.18	ग्रा०-श्रृंगार हाट, पो०+ था०-सोहसराय, नालंदा	71920700 020875	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मजदूर
4	स्व० विनोद कुमार, 50, श्री बालदेव गोप, पि० वर्ग	श्रीमती लालमुनी देवी (पत्नी)	469/14.07.18	ग्रा०+पो०-विषाई विगहा, था०-परवलपुर, नालंदा	71820100 083679	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर
5	स्व० तिरथ कुमार, 23, श्री समरेन्द्र प्रसाद, अ० पि० वर्ग	श्रीमती लाक्षो देवी (माता)	470/14.07.18	ग्रा०-माधोपुर गढ़, था०+ प्र०-चण्डी, नालंदा	36892892 076	SBI, माधोपुर, SBIN0016396	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री

कुल :- ₹ 360000/-

(तीन लाख साठ हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-37/2018 के पृष्ठ-06/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

ह०/-
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-37/2018-384

पटना, दिनांक :- 14-8-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 360000/- (तीन लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 356 दिनांक 08.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक 389 दिनांक 21.06.18, 463, 464 दिनांक 13.07.18, 469, 470 दिनांक 14.07.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/21
14.8.18
(अजय कुमार सिंह)
लिपिक

Gandhi
14/08/18
(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

14/08/18
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।